


प्रश्न सं. [क. 1246]

तारांकित प्रश्न 1246 परिशिष्ट -अ

उक्त भूमि में से सर्वे नंबर 336 एवं 339 पर पक्के निर्माण का अतिक्रमण होने से न्यायालय तहसीलदार तहसील नलखेडा में प्रकरण क्रमांक 0063/अ-68/2021-22 दर्ज होकर आदेश दिनांक 17.11.2022 में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत संबंधित अतिक्रमण के विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखली आदेश पारित किया गया है एवं निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। एवं सर्वे नंबर 337 एवं 338 में पक्का निर्माण होकर अतिक्रमण होने से अतिक्रमण के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत तहसील न्यायालय तहसील नलखेडा में कार्यवाही की जा रही है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	अतिक्रमण का नाम	प्रकरण क्रमांक	आगामी पेशी दिनांक
1	अलिजा बहादुर मंदिर	0037अ68/2023-24	08-02-2024
2	हरिश्चंद्र पिता भंवरलाल जाति मेवाडा	0041अ68/2023-24	08-02-2024
3	नारायण पिता बट्टीलाल जाति भील	0038अ68/2023-24	08-02-2024
4	बनवारी मालवीय	0039अ68/2023-24	08-02-2024
5	महेशचंद्र पिता नारायणसिंह यादव	0042अ68/2023-24	08-02-2024
6	राजू मालवीय	0040अ68/2023-24	08-02-2024


नलखेडा अधिकाारी
 म0 प्र0 शासन
 राजस्व विभा शाखा-१
 नलखेडा, भोपाल